न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 46/25
जीसीएमएस : 2025/416

1. नाथीदेवी पत्नी श्री मनफूलराम जाति बिश्नोई निवासी 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज0)। –:प्रार्थीया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 11.09.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री सन्त कुमार प्रार्थी अधि.।
2. राजपेरोकार अप्रार्थी।

––निर्णय–– दिनांक:– 20.02.2026

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया मैं मेरी कृषि जोत में पाईप लाईन बिछाने के प्रयोगजन के लिए अपनी भूमि चक 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुनं. 25 प.नं. 201/335 के किलानम्बर 5 में बनी पानी की डिग्गी से लेकर इसी चक के मुरब्बा नम्बर 16 प.नं. 201/334 के किलानम्बर 5–6–15–16–25 में स्वीकृतशुद्धा रास्ता के किनारे से अपने इसी चक के मु.नं. 9 प. नं. 200/333 के लिए स्वीकृतशुद्धा सड़क के किनारे से पाईप लाईन बिछाने की स्वीकृत करवाने एवं पाईप लाईन बिछाने अथवा डालने का आश्य रखती हूँ इसलिए मैं राजस्थान अभिकृति अधिनियम 1955 का अधिनियम सं. 3 की धारा 251–क उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करती हूँ। वाके चक 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 45/36 मु.नं. 25 प.नं. 201/335 की 0. 886 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में मुश्तरका खाता में 133/886 हिस्सा भूमि व इसी चक 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर की वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 27/35 मु.नं. 25 प.नं. 201/335 में 1.557 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि व इसी चक 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर की खतौनी संख्या 9/44 मु.नं. 9 प.नं. 200/333 में 1.518 हैक्टर नहरी मय खाला में मुश्तरका खाता में 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त में हैं। इसी चक 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के मुनं. 25 प.नं. 201/335 के किलानम्बर 5 में प्रार्थीया के खेत में बनी पानी की डिग्गी से लेकर इसी चक के मुरब्बानम्बर 16 प.नं. 201/334 के किलानम्बर 5–6–15–16–25 में स्वीकृतशुद्धा रास्ता के किनारे से अपने इसी चक के मु. नं. 9 प.नं. 200/333 के लिए स्वीकृतशुद्धा सड़क के किनारे से पाईप लाईन प्रार्थीया की दूसरी भूमि को सिंचित करने के लिए पाईप लाईन डालने की अनुमती चाहती हूँ, जो स्वीकृत फरमाई जावे।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/16 दिनांक 12.01.2026 से उक्त प्रकरण के संदर्भ में मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 35 एनपी खाता संख्या 12[illegible]01/335 मु0न0 25 के किला नं0 5/2/0.025 खाला, 5/4/0.108 कुल [illegible]33 [illegible] नहरी मय खाला नाथीदेवी पत्नी मनफूलराम तथा मु0न0 [illegible] 1.5155 है0 नहरी मय खाला भूमि कालूराम पुत्र [illegible], नाथीदेवी पत्नी [illegible]फूलराम जाति बिश्नोई [illegible] 15 एसएडी खातेदार दर्ज [illegible] चक 35 एनपी मु0न0 16 के कि[illegible] 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है0 [illegible] खाता संख्या 01 में दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

है। प्रार्थीया द्वारा अपने रकबे मु0न0 25 के किला न० 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 09 के किला नं. 20 ता 25 में अपने हिस्से के रकबे में सिंचाई हेतु पाईप लाईन डालने के लिए निवेदन किया है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीया चक 35 एनपी के प०न० 201/335 मु०न० 25 के किला न० 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में पाईप लाईन डालकर मु०न० 09 में अपने रकबे में सिंचाई कर सकता है। अतः प्रार्थीया को चक 35 एनपी के प०न0 201/335 मु0न0 25 के किला न0 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में तीन फीट नीचे पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जानी उचित है।

3. बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी सिचाई हेतु चक 35 एनपी के पं. प०न0 201/335 मु0न0 25 के किला न0 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में तीन फीट की गहराई में पाईपलाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे। यही से पाईप लाईन डालने से पानी कम समय मे खेत में पहुंच सकता है। अन्य विकल्प से दूरी अधिक पड़ती हैं। अप्रार्थी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में तीन फीट नीचे पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जानी उचित है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि चक 35 एनपी के पं. प०न0 201/335 मु0न0 25 के किला न0 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में तीन फीट की गहराई में पाईपलाईन डालने डालने की स्वीकृति दिया जाना उचित है यह कथन तहसीदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिर्पोट के तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 35 एनपी के पं. प०न0 201/335 मु0न0 25 के किला न0 5/4 में बनी डिग्गी से मु०न० 16 के किला न० 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025 है० गै०मु० रास्ता की भूमि में तीन फुट की गहराई पर पाईपलाईन डालने की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि तहसीलदार रायसिंहनगर पाईप लाईन डालने में उपयोग हुई भूमि का डीएलसी दर का 10 प्रतिशत राशि प्रार्थीया से प्राप्त कर (उक्त भूमि गै.मु.रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण) राजकोष के राजस्व मद में जमा करवाने के उपरान्त ही आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। आदेश प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में जाहिर कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:46 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

अधिकारी रायसिंहनगर